

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 7/55 आउशि/शाखा-5'अ' / 2017, भोपाल, दिनांक: 08/06/2017


प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय पारम्परिक (07) म.प्र.
2. संभागीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (08)
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालय म.प्र.

विषय:- वार्षिक परीक्षा पद्धति के पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन व अंको का पुर्ननिर्धारण विषयक।
सदर्भ:- केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 27 एवं 28 अप्रैल 2017।

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रमों में द्वि-प्रश्नपत्र प्रणाली में नियमित विद्यार्थियों के लिए 20 अंको का आंतरिक मूल्यांकन (10 अंक त्रैमासिक एवं 10 अंक छःमाही) के साथ 40-40 अंको के सैद्धान्तिक दो प्रश्न-पत्र होंगे। इस तरह कुल 80 अंक सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र के लिए रहेंगे। जिसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यायी) विद्यार्थियों के लिए प्रति प्रश्न पत्र 50 अंको का होगा। प्रायोगिक विषयों के लिए 50 अंको की प्रायोगिक परीक्षा होगी जो नियमित एव अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यायी) होगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।



(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पू. क्रमांक: 7//55/आउशि/शाखा-5'अ' / 2017, भोपाल, दिनांक: 08/06/2017

प्रतिलिपि

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी विश्वविद्यालय समन्वय प्रकोष्ठ उ.शि.वि. मंत्रालय, भोपाल।
4. कुलपतिगण, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष/सदस्य, समस्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।


(डॉ. ए.एस.यादव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश